"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017 — चैत्र 6, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 (चैत्र 6, 1939)

क्रमांक-3981/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) जो सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 18क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"18क. निर्माण, विक्रय आदि का अनन्याधिकार प्रदान करने की शक्ति.-

(1) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी मादक द्रव्य, विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति या भांग का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भण्डारण, क्रय, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय या संग्रहण का अनन्याधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण के किसी भी निगम को प्रदान कर सकेगा.

(2) पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु आबकारी आयुक्त, शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये, निगम को आवश्यक लायसेंस प्रदान कर सकेगा.

(3) ऐसे लायसेंस प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसा निगम पूर्वोक्त प्रयोजनों हेतु अपनी इकाईयां, शाखाएं, गोदाम एवं दुकान को ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि आबकारी आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित कर सकेगा."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्र. 1 सन् 2017) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

किसी मादक द्रव्य, विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति या भांग का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भण्डारण, क्रय, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय या संग्रहण का अनन्याधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण के किसी भी निगम को प्रदान करने हेतु, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है.

रायपुर,
दिनांक 21 मार्च, 2017

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिमाणस्वरूप राज्य शासन पर अनुमानत: रुपये 1,650,000,000/- (रुपये एक सौ पैंसठ करोड़) का वित्तीय भार आएगा.

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 101 (1) के अंतर्गत अध्यादेश प्राख्यापित किये जाने का औचित्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) प्रख्यापित किया गया है उक्त अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के संबंध में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-12-2016 के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के समानांतर शराब की बिक्री के लिये लायसेंस नहीं देने के निर्देश दिये गये हैं. राज्य की 416 मदिरा दुकानें उक्त निर्णय से प्रभावित होंगी तथा इन्हें दिनांक 01-04-2017 से आपत्तिरहित वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाना है. इन दुकानों का राजस्व लगभग 2200 करोड़ रुपये है. उक्त दुकानों का व्यवस्थापन नहीं होने की संभावना है, जो राजस्व हित में नहीं है. साथ ही राजस्व हित अवैध मदिरा के विक्रय के प्रभावी रोकथाम किया जाना भी आवश्यक था.

अत: राज्य सरकार द्वारा राजस्व को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मदिरा के फुटकर विक्रय का अधिकार पृथक से सार्वजनिक उपक्रम को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया. इस हेतु राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम का सृजन आवश्यक था. सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा दिनांक 01-04-2017 से फुटकर दुकानों के संचालन के लिए निम्नलिखित पूर्व तैयारियां आवश्यक थी-

- सार्वजनिक उपक्रम का गठन एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीयन.
- सार्वजनिक उपक्रम को प्रारम्भिक वित्तीय व्यवस्था हेतु शासन द्वारा ऋण का आबंटन तथा उपक्रम के द्वारा उपक्रम के खर्चों की पूर्ति के लिए मदिरा के फुटकर विक्रय के मार्जिन का निर्धारण.
- छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 को जारी किया जाना तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 का निरसन.
- छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995 तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में उपक्रम के द्वारा मदिरा के विक्रय का अधिकार प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक संशोधन.
- सामान्य प्रयुक्त के निर्देश जारी किया जाना.
- नवीन सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा फुटकर विक्रय के लिए दुकान, परिवहन, सामग्री, कर्मचारियों की नियुक्ति, नकद एवं भंडार के रखरखाव आदि की तैयारी की आवश्यकता.

अत: दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से सार्वजनिक उपक्रम को फुटकर विक्रय का लायसेंस प्रदान किए जाने के लिए, उपरोक्त निहित कार्यवाहियों की आवश्यकता के कारण शासन के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाना आवश्यक हो गया था.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क के सुसंगत उद्धरण

धारा 18-क. निर्माण विक्रय आदि का एकाधिकार प्रदान करना -

(1) अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील रहते हुए राज्य शासन द्वारा एकाधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रित निगम छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर या थोक विक्रय हेतु सौंपा जा सकेगा.

(2) उस पर, आबकारी, आयुक्त उपरोक्त हेतु शासन द्वारा, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को आवश्यक लायसेंस स्वीकृत कर सकेंगे.

(3) ऐसा लायसेंस प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड अपनी शाखाएं/गोदाम उन स्थानों पर तथा उन शर्तों के अनुसार जैसी कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, खोलेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.